समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

रिव्यू – 2681 – I – 16

270

प्र. क्र. / /2016 रिव्यू

-1-

श्रीमति नौनी बाई पुत्री स्व0 श्री कलैया

आदिवासी पत्नी श्री हरचटिया गौड

निवासी जरधोवा हाल निवासी बॉधी

तहसील जिला पन्ना म0 प्र0

....याचिकाकर्ता

श्री राजेन्द्र जैन अभि0
द्वारा आज दि. 9-8-16 को
प्रस्तुत
9-8-16

विरुद्ध

1 बलवान सिह पुत्र हल्के दौवा (मृतक)

अ टुक्की पुत्री बलवान सिह पत्नी शिवराम कृपाल सिंह निवासी ग्राम पवई

ब मोतीलाल पुत्र बलवान सिह

स चरण सिंह पुत्र बलवान सिह

द जगदीश सिंह पुत्र बलवान सिह

ई मूरत सिंह पुत्र बलवान सिह

फ सूरज सिंह पुत्र बलवान सिह

जी इंद्रजीत पुत्र बलवान सिह

निवासीगण– ग्राम जरधौवा तहसील जिला पन्ना

....रेस्पॉन्डेंट

पुर्नवलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 51 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश प्र0 क्र0 1174/एक/2007 दिनांक 08/07/2016 द्वारा पारित श्री एम. के. सिंह, सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर

श्रीमान महोदय,

प्रार्थी की ओर से पुर्नवलोकन याचिका निम्न अनुसार प्रस्तुत है–

प्रकरण के तथ्य–

1 यहकि, याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरा अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश प्र0 158–अ–23/2005–06 दिनांक 30/06/07 पारित अपर आयुक्त सा संभाग सागर इस आशय की प्रस्तुत की थी कि आवेदिका के पिता कल्ले गोंड जो कि आदिवासी यानि अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति होकर रूप से अनपढ होकर अशिक्षित व्यक्ति था जिसकी स्वत्व स्वामित्व अधिपत्यकी भूमि ग्राम जरधोवा खसरा क0 444, 470, 471 रकवा कमश 166, 0.781, 1.076 कुल किता तीन कुल रकवा 2.023 होकर रा अभिलेख मे दर्ज था।

2 यहकि, आवेदिका के पिता द्वारा अपने जीवन काल मे अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि विकय नही की अनावेदकगण के पिता फर्जी व्ययनामा 18.08.1965 तैयार करा लिया गया।

3 यहकि, आवेदिका के पिता गोंड जाति का व्यक्ति है जो म0 प्र

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 2681–एक /2016 जिला– पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–02–2017	आवेदकगण की ओर से श्री राजेन्द्र जैन अभिभाषक उपस्थित। अनावेदकगण की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर तर्क सुने गये। यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8.7.2016 का अवलोकन किया गया। म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा–51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है – 1– किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं था अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी या 2–मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय किया जाता है। सदस्य	